<u>न्यायालय–अवर न्यायाधीश, बनमनखी (पूर्णियाँ)</u>

<u>Injunction Suit</u>

<u>T.S-07/2019</u>

<u>28.01.2021</u> वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से हाजरी दी गई। अभिलेख आज वादीगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं वादी के दिनांक–21.10.2020 के आवेदन तथा प्रतिवादीगण के दिनांक–04.01.2021 के प्रतिउत्तर पर सुनवाई के पश्चात् आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। वादीगण की ओर से साक्षी गौरी शंकर झा की हाजरी दी गई। साक्षी सं0–3 गौरी शंकर झा का मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण के पश्चात् मुक्त किया गया। गवाही के दौरान साक्षी के द्वारा अनुमंडल दण्डाधिकारी के न्यायालय में दिनांक–22.05.2019 को दिये गए आवेदन, जो अनुमंडल दण्डाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित है, को प्रर्दश–3 अंकित किया गया।

वादी के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक–21.10.2020 के आवेदन के आलोक मे तर्क प्रस्तुत किये है कि प्रतिवादी सं0–2 रविन्द्र यादव मालिकी खाता–613 नायडू देवी के पक्ष मे sale deed no-1316 दिनांक–11.03.2017 को निष्पादित किया है। इस वाद का विवादित भूमि मालिकी खाता –613 तथा शिकमी खाता–163 है। इस प्रकार नायडू देवी के पक्ष मे किया गया केवाला विवादित भूमि से संबंधित है, जिसका उचित न्याय निर्णयन हेतु अवलोकन आवश्यक है, जो नायडू देवी के अभिरक्षा मे है। अतः वादी को नायडू देवी के विरूद्ध दस्ती समन निर्गत करते हुए नायडू देवी के अभिरक्षा से sale deed no-1316 दिनांक–11.03.2017 को मॉगवाया जाय।

प्रतिवादी सं0–1 एवं 2 के विद्वान अधिवक्ता ने वादी के दिनांक–21.01.2020 के आवेदन का विरोध करते हुए कथन किये है कि नायडू देवी इस वाद मे पक्षकार नही है, तथा न्यायालय के समय को बर्बाद करने हेतु आवेदन दिया गया है, तथा उक्त केवाला इस वाद मे आवश्यक नही है। अतः वादी के आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षो को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से प्रतित होता है कि वाद वादी के साक्ष्य हेतु लंबित है। प्रथम दृष्टया sale deed no-1316 दिनांक–11.03.2017 विवादित भूमि से संबंधित प्रतित होता है। उचित न्याय निर्णयन हेतु इस केवाला पर विचार करना आवश्यक है। अतः न्यायहित मे वादी के दिनांक–21.10.2020 के आवेदन को अंशतः स्वीकार करते हुए कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि नायडू देवी पति–श्री विमल किशोर झा ग्रा0–सुखीया, वार्ड–16, थाना–बनमनखी, जिला–पूर्णियाँ के विरूद्ध, उक्त केवाला की मूल प्रति दिनांक–23.02.2021 तक न्यायालय मे अवश्य प्रस्तुत करने हेतु नोटिश निर्गत करें।

दिनांक–23.02.2021 वास्ते वादी साक्ष्य।

28/01/2021

अवर न्यायाधीश,

बनमनखी

Scanned by CamScanner